



Pandit Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh

Accredited A+ by NAAC, Bengaluru

Koni- Birkona Road, PO- Birkona, Dist- Bilaspur- 495009



Name of the Programme: Master of Arts (CHHATTISGARHI)				
Total No. of Full Time Dedicated Faculty: 03				
S. No.	Name of Faculty	Designation	Highest Qualification	Email & Contact no.
1.	Dr. Hitesh Kumar Tiwari	Assistant Professor	Ph.D.	tiwarihitesh991@gmail.com 8770319389
2.	Ms. Kausima	Assistant Professor	M.A.	kausimabanjare94@gmail.com 8269255688
3.	Mr. Lukeshwar	Assistant Professor	M.A.	lukeshwar1991@gmail.com 8770418190

[Handwritten Signature]

Regional Director
Regional Director
Pandit Sundarlal Sharma (Open) University
Chhattisgarh, Bilaspur

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 131/06/10/2023

बिलासपुर, दिनांक : 06/10/2023

प्रति,

डॉ. हितेश तिवारी

रायपुर (छ.ग.)


विषय :- छत्तीसगढ़

विषय :- C.A.M. के तहत रोलिंग विज्ञापन प्रणाली के अंतर्गत पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा अतिथि शिक्षक के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश यू.जी.सी.-डेब से पाठ्यक्रम हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के बाद पाठ्यक्रम प्रारंभ होने की तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा अन्यथा की स्थिति में स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार



विभाग प्रमुख


बिलासपुर, दिनांक : 06/10/2023

पृ. क्र. 132/06/10/2023

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. प्रमुख स्थापना/प्रशासन को सूचनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।


विभाग प्रमुख

 विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 133 / 06 / 10 / 2023

बिलासपुर, दिनांक : 06 / 10 / 2023

प्रति,

कु. कोशिभा

विषय :- छत्तीसगढ़


बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- C.A.M. के तहत रोलिंग विज्ञापन प्रणाली के अंतर्गत पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा अतिथि शिक्षक के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश यू.जी.सी.-डेब से पाठ्यक्रम हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के बाद पाठ्यक्रम प्रारंभ होने की तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा अन्यथा की स्थिति में स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार



विभाग प्रमुख

बिलासपुर, दिनांक : 06 / 10 / 2023

पृ. क्र. 134 / 06 / 10 / 2023

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. प्रमुख स्थापना/प्रशासन को सूचनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।



विभाग प्रमुख

हिन्दी विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752

website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 135 / 06 / 10 / 2023

बिलासपुर, दिनांक : 06/10/2023

प्रति,

श्री लुकेश्वर

श्री (छ.ग.)

विषय :- छत्तीसगढ़

विषय :- C.A.M. के तहत रोलिंग विज्ञापन प्रणाली के अंतर्गत पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा अतिथि शिक्षक के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश यू.जी.सी.-डेब से पाठ्यक्रम हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के बाद पाठ्यक्रम प्रारंभ होने की तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा अन्यथा की स्थिति में स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार

विभाग प्रमुख

पृ. क्र. 136 / 06 / 10 / 2023

बिलासपुर, दिनांक : 06/10/2023

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. प्रमुख स्थापना/प्रशासन को सूचनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

विभाग प्रमुख

हिन्दी विभाग